संख्या-547/बयालिस-2019-11/एस0पी0/15/90

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारुद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

जी-620
25/02/19

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक 22 फरवरी, 2019

विषय :- राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीमों के खिलाडियों को किट सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0-373/किट/2018-19, दिनांक 08 जून, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 3970/बयालिस-2001-11/एस0पी0/15/90, दिनांक 12.12.2001 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीमों के खिलाडियों को प्रत्येक किट की मदवार वस्तुओं का अधिकतम निर्धारित मूल्य कुल रू0 1000/- के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से रू0 2,500/- किट की मद में धनराशि, जिसमें ट्रैक सूट-1, जूता-1 जोड़ी, मोजा 1 जोड़ी, प्लेइंग किट की धनराशि सम्मिलित है, निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- शासनादेश दिनांक 22.11.1990 एवं दिनांक 14.12.2001 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी ।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-257/दस-2019, दिनांक- 20 फरवरी, 2019 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारुद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-547 (1)/बयालिस-2019-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
4- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।